

कृष्णा जल ववाद

प्रलिस के ललऱः

नदी जल ववाद से संबंढतल संवैधानकल ढरावधान, कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदरलँ, नल्लामाला ढहाड़रल ।

ढेनूस के ललऱः

कृष्णा नदी जल ववाद चुनौतरलँ और आगे का रासूतर, नुयायाधीशुँ का खंडन ।

करूा ढें करुँ?

हाल ही ढें [सरवुओओ नुयायालय](#) के दुु जरुँ ने आंधर ढरदेश, तेलंगाना, ढहाराषूटर और करूनाटक के बीच कृष्णा नदी जल के बूँटवारे के ववाद से जुड़े एक ढामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लरल ।

- उन्हुँने इसका कारण बताया कवल ढे ढकषढात का नशाना नहुँ बनना चाहते करुँकवल ववाद उनके गृह राजुँ से संबंढतल है ।

नुयायाधीशुँ का बहषकर

- यह ढीठासीन नुयायालय के अधकरारी या ढरशासनकल अधकरारी के हतरुँ के टकराव के कारण कानूनी कारुववाही जैसी आधकरारकल काररवाई ढें ढाग लेने से अनुढसूथतल रहने से संबंढतल है ।
- जब हतरुँ का टकराव हुुता है तु एक नुयायाधीश ढामले की सुनवाई से ढीओे हट सकता है ताकवल यह धारणा ढैदा न हुु कवल उसने ढामले का नररणुय करते समय ढकषढात करल है ।
- ढुनरढूलुयांकन को नररुँतरतल करने वाले कुुई औढचारकल नररुँढ नहुँ है, हालाँकवल सरवुओओ नुयायालय के कई नररुँढुँ ढें इस ढुदुदे ढर बात की गई है ।
 - रंजीत ठाकुर बनल ढारत संघ (1987) ढामले ढें सरवुओओ नुयायालय ने ढाना कवल यह दुूसरे ढकष के ढन ढें ढकषढात की संढावना की आशंका के ढरतरुँतरुँ को बल ढरदान करती है ।
 - नुयायालय को अपने सामने ढुजूद ढकष के तरूक को देखना चाहरुँ और तड करना चाहरुँ कवल यह ढकषढाती है या नहुँ ।

ढरढुख बदु

ढररुँढः

- वरूष 2021 ढें आंधर ढरदेश ने आरोढ लगाया कवल तेलंगाना सरकार दुवारा उसे "असंवैधानकल और अवैध" तरुँके से ढीने एवं सकराई के लरुँ ढानी के अपने वैध हसुँसे से वंचतल कर दुवल गया ।
- शूरीशैलढ जलाशड का ढानी, जो कवल दुुनुँ राजुँ के बीच नदी के जल का ढुखुय ढंडारण है, संघरूष का एक ढरढुख बदु बन गया है ।
 - आंधर ढरदेश ने तेलंगाना दुवारा बजलली उतूढादन हेतु शूरीशैलढ जलाशड के ढानी के उढडुुग का वररुँध करल ।
 - शूरीशैलढ जलाशड आंधर ढरदेश ढें कृष्णा नदी ढर बनलया गया है । यह नल्लामाला ढहाड़रुँ ढें सूथतल है ।
- इसने आगे तरूक दुवल कवल तेलंगाना, आंधर ढरदेश ढुनरूगठन अधनररुँढ, 2014 के तहत गठतल शीरूष ढरषलद ढें लरुँ गए नररुँढुँ, इस अधनररुँढ के तहत गठतल कृष्णा नदी ढरबंधन डुर्ड (केआरएढडी) के नररुँदेशुँ और केंदर के नररुँदेशुँ का ढालन करने से इनकार कर रहा है ।

ढूषूठढूढः

कृष्णा जल ववाद नुयायाधकररणः

- वरूष 1969 ढें 'अंतर-राजुँडुय नदी जल ववाद अधनररुँढ, 1956' के तहत 'कृष्णा जल ववाद नुयायाधकररण' (KWDT) को सूथाढतल करल गया था और इसने वरूष 1973 ढें अपनी रढररूट ढरसूतुत की थी ।
- साथ ही यह ढी नररुँधररुँतल करल गया था कवल 'कृष्णा जल ववाद नुयायाधकररण' आदेश की सढीकषा या संशुधन कसुँी सकूषढ ढराधकरारी या नुयायाधकररण दुवारा 31 ढई, 2000 के बाद कसुँी ढी समय करल जा सकता है ।

- **दूसरा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण**
 - वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई जिसने वर्ष 2010 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2010 में दिये गए नरिणय में अधिशेष जल का 81 TMC महाराष्ट्र को, 177 TMC कर्नाटक को तथा 190 TMC आंध्र प्रदेश के लिये आवंटित किया गया था।
- **KWDT की वर्ष 2010 की रिपोर्ट के बाद:**
 - आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इसे चुनौती दी थी।
 - वर्ष 2013 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 'आगे की रिपोर्ट' जारी की, जिससे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने फरि से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
- **तेलंगाना का नरिमाण:**
 - तेलंगाना के नरिमाण के बाद आंध्र प्रदेश ने कहा है कि तेलंगाना को KWDT में एक अलग पक्ष के रूप में शामिल किया जाए और कृष्णा जल के आवंटन को तीन के बजाय चार राज्यों के बीच फरि से वितरित किया जाए।
 - यह आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्र्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 पर आधारित है।
 - इस खंड के प्रयोजनों हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियत दिन को या उससे पहले ट्रिब्यूनल द्वारा पहले से किये गए परयोजना-वशिष्ट आवंटन संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होंगे।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - **अंतरराज्यीय नदी जल विवाद** के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।
 - इसके तहत संसद किसी भी अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण एवं नरिंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शकियत के न्यायनरिणयन का प्रावधान कर सकती है।
 - संसद ने दो कानून, नदी बोर्ड अधिनियम (1956) और अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) अधिनियमित किये हैं।
 - नदी बोर्ड अधिनियम (River Boards Act) अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटियों के नयिमन एवं वकिस हेतु केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम (Inter-State Water Disputes Act) केंद्र सरकार को एक अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के नरिणय हेतु एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है।
 - किसी भी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, जिससे इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है।

कृष्णा नदी:

- **स्रोत:** इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के नकिट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- **ड्रेनेज:** यह बंगाल की खाड़ी में गरिने से पहले चार राज्यों महाराष्ट्र (303 कमी), उत्तरी कर्नाटक (480 कमी) और शेष 1300 कमी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- **सहायक नदियाँ:** तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, येरला, वर्ना, डडि, मुसी और दूधगंगा।



आगे की राह

- जल विवादों का समाधान या संतुलन तभी किया जा सकता है जब ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गए नरिणयों पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार

के साथ एक स्थायी टर्बिडिनिनल स्थापति कयिा जाए ।

- कसिी भी संवैधानकि सरकार का तात्कालकि लक्ष्य अनुच्छेद 262 में संशोधन और अंतरराज्यीय जल वविाद अधनियिम में संशोधन तथा उसका समान रूप से करयिान्वयन होना चाहयिे ।
- यह समय है कहिम सभी को जल प्रबंधन के बारे में अपनी रणनीतिपर पुनर्वचिार करना चाहयिे, न केवल राज्यों के भीतर, बलकराष्ट्रीय स्तर पर अगले 30 वर्षों में जल परदृश्य को ध्यान में रखते हुए आम सहमतकिे लयिे संचार के चैनलों में सखती से सुधार करने की ज़रूरत है ।
- तंत्र को इस तरह से सुधारना चाहयिे ककिेंद्र द्वारा बनाए गए नकियाय को राज्यों के हतियों की रक्षा के लयिे पर्याप्त रूप से प्रतनिधित्व मलिे ।

स्रोत: द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/krishna-water-dispute>

